

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 23 अ-82/2019-20 मौजा-काठी/12913 बैतूल दिनांक 4/12/2019

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	काठी	4.442	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
1	पंजाबराव व. राधेलाल जाति भोयर पता सा. देह भू-स्वामी	228/4	0.347	0.080
2	कचरा बेवा सुदरलाल बाबूलाल साहबलाल दयाल लयराम व. सुन्दरलाल सुनिता कमला पिता सुन्दरलाल केकई बेवा दयाराम वली मा केकई रोगनी ना.बा. पिता दयाराम वली मा केकई पता पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	243/3	0.142	0.142
		243/4	0.562	0.562
3	कमल पिता भगन कल्लू व. घुड़न दनाजी मनाजी गनाजी व. कुन्दन सीता चम्पा सुनिता पिता कुन्दन माहो बेवा कुन्दन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	243/1	0.142	0.142
		243/7	0.363	0.263
4	चेनौ जौ. मदनलाल पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	237/4	0.182	0.182
7	प्रेमलाल रेवजी व. डोमा हिरा मुन्नी व. डोमा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	239/1	0.338	0.338

8	बाया बे. हिराजी नान्ही नन्हिया पिता हिराजी मनोज उमेश व. बाबुलाल ममता पिता बाबुलाल नान्ही बेवा बाबुलाल संरेश सुरेन्द्र मोनू रमेश व. ओझा वलीमां देवकी लता पिता ओझा वाजी मा. देवकी जुगनी देवकी बेवा ओझा जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	241	0.615	0.615
		242	1.141	1.141
9	मुन्नी जौ. कैलाश जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	243/2	0.263	0.160
10	मदन शिवशंकर शिवपाल व. दसरया जुगना उर्मिला जानकी पिता दसरया प्रहलाद कैलाश प्रकाश दयानंद व. बिहारी अनिता पिता बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	243/5	0.565	0.365
11	चेनी जौ. मदनलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	249/4	0.502	0.302
12	रेवजी व. लहया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	254/1	0.930	0.150
कुल योग			6.092	4.442

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है ।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(तेजस्वी एस. नायक)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

१

पृ0क0 23 अ-82/वर्ष 19-20/काठी/12913
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 4-12-2019

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताईकी ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत काठी तहसील आमला जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


अपर कलेक्टर

एवं प्र0अ0 भू-अर्जन, बैतूल

2

